राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 389/2016

भंवर लाल कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर सह जिला प्रोग्राम कोर्डीनेटर, मनरेगा, बूंदी।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।
4. विकास अधिकारी सह प्रोग्राम अधिकारी, (ईजीएस), पंचायत समिति के.पाटन, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री रामेश्वर गुर्जर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 25.02.2013 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी से निर्माण कार्य में अनियमितता पाये जाने के कारण वसुली किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने का आदेश निकाले जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने वर्तमान में वसुली योग्य राशि जमा करा दी है। अब वसुली की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
3. हमनें दोनो पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी ने समस्त बकाया राशि जमा करा दी है और वर्तमान में अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो चुका है। हम यह भी पाते हैं कि इस प्रकरण में जांच दल द्वारा जांच के पश्चात निर्माण कार्यो में अनियमित भुगतान पाये जाने के कारण अपीलार्थी से वसुली की कार्यवाही की थी। चूंकि अपीलार्थी ने वसुली योग्य राशि बिना आपत्ति के प्रत्यर्थी विभाग को जमा करा दी है। अब पुनः जांच का अवसर प्रदान किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने स्वैच्छा से वसुली योग्य राशि जमा करवाई थी।
5. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)